

अवयस्क उम्मीदवारों के लिए अभिभावक / कानूनी संरक्षक द्वारा सहमति प्रमाण—पत्र
(18 वर्ष से कम आयु के उम्मीदवारों के लिए)

मैं अपने पुत्र—पुत्री / आश्रित को पार्थ
योजना अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए शारीरिक प्रशिक्षण करने की खुली सहमति देता हूँ जो कि उनके अपने
जोखिम पर होगा। यदि मेरे पुत्र / आश्रित को प्रशिक्षण प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की चोट
लगती है तो मैं विभाग से किसी भी प्रकार के मुआवजे या उपचार का दावा नहीं करूँगा / करूँगी।।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

आवेदनकर्ता के अभिभावक / कानूनी संरक्षक के हस्ताक्षर

दिनांक — / / 2025

वयस्क उम्मीदवारों के लिए सहमति प्रमाण—पत्र
(18 वर्ष से अधिक आयु के उम्मीदवारों के लिए)

मैं सहमति देता / देती हूँ कि पार्थ योजना अंतर्गत प्रशिक्षण प्रक्रिया
के दौरान मुझे किसी भी प्रकार का जोखिम / चोट लगती है तो मैं विभाग से किसी भी प्रकार के मुआवजे
या उपचार का दावा नहीं करूँगा / करूँगी।।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

दिनांक — / / 2025

